करने का समान अवसर होना चाहिए।

भारत में सभी नागरिक सामाजिक समानता का आनंद लेते हैं। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसके अभ्यास को मना किया गया है। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव की नीति को अपनाया गया था। लेकिन USA के पूर्व राष्ट्रपति जॉनसन ने कांग्रेस द्वारा विधेयक पारित कर सामाजिक समानता स्थापित की।

नस्लीय भेदभाव की नीति अभी भी दक्षिण अफ्रीका द्वारा पीछा की जाती है। सामाजिक असमानता अभी भी वहाँ व्याप्त है। 10 Dec 1948 को UNO ने मानव अधिकारों के चार्टर की घोषणा की जिसने सामाजिक समानता पर जोर दिया। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार अतीत में कुछ देशों द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में सामाजिक समानता के अधिकार की विशेष व्यवस्था की गई है और संविधान के अनु० 17 में अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। सामाजिक समानता की मांग है कि समाज में सती प्रथा और कन्या हत्या जैसी अमानवीय स्थितियों को दूर करना जरूरी है।

सामाजिक समानता के अंतर्गत मुख्यतया ये बातें आती हैं:-

(i) पैसा, धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या अन्य किसी को हेय न समझा जाए।

(ii) स्त्रियों को पुरुष से कम अधिकार न दिए जाएँ। सामाजिक समानता की मांग है कि स्त्रियों को पुरुष के समान सम्मानजनक स्थिति व्यवहार में भी प्राप्त होनी चाहिए।

(iii) सामाजिक समानता एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य-मनुष्य के बीच सामाजिक समागम को बढ़ावा मिले। सामाजिक समागम का अर्थ - विवाह सम्बन्धों व खान-पान के क्षेत्र में निषेधों का अभाव।